राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 67/2023

उनवान — विष्णु कुमार v/s बिरधारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशीयल जज
24-06-2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित आये है। वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र O-1 R-10 व धारा 151 CPC पेश किया। जिसकी एक प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता को दिलवाई गई। जवाब प्रार्थना पत्र O-1, R-10 व धारा 151 CPC शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा-पत्र O-1, R-10 (2) व 151 CPC व जवाब प्रा-पत्र हेतु आईन्दा दिनांक 08-08-2024 को पेश हो।
08-08-2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। SDO ..... अन्य राजकार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली ..... बहस प्रा-पत्र O-1, R-10(2) 151 CPC हेतु व जवाब प्रा-पत्र दिनांक 12-08-2024 को पेश हों। रीडर
12-08-2024	पत्रावली पेश हुई। वकील ..... वकील फरीकेन उपस्थित। ..... हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रा-पत्र O-1, R-10(2) 151 CPC व जवाब प्रा-पत्र आईन्दा दिनांक 24-09-2024 को पेश
04.9.2024	आज मुद्दत पत्रावली वादी ने जरिये अधिवक्ता पु.प. मिसल पेशी में लेने का पेश करने पर पेशी में ली गई वादी ने पु.प. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पक्षकारों के मध्य आपसी लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, इसलिये पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः कार्यवाही को ड्रोप करवाना चाहते है। लिखित वादी। पार्टी द्वारा प्रस्तुत पु.प. के आधार पर वादी वाद जरिये विड्रावल में खारिज किया जाता है। पत्रावली वाद तन्सील पूर्ति व अभिलेखागार में अभिलेख दाखिल रखते हो।
वि 2-1-02 दृष्टि पक्षकारान 04/09/2024	(महिमा मित्तल) न्यायाधीश (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.25 11:13:02 IST
Reason: SelfAttested